न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 17/2018

बउनवान

1. चन्द्रमोहन आयु 52 वर्ष पुत्र श्री भंवरलाल जाति ब्राह्मण
2. नरेश कुमार आयु 54 वर्ष पुत्र श्री भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम बड़ां तहसील व जिला बारां (राजस्थान)

(अपीलांटगण)

बनाम

1. रामप्यारी आयु 73 वर्ष पत्नि श्री नन्दकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बड़ां तहसील व जिला बारां (राजस्थान)
2. कान्ति बाई आयु 70 वर्ष पुत्री श्री केसरीलाल पत्नि श्री रामबिलास जाति ब्राह्मण निवासी म.नं. 4 ज 3 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा जिला कोटा (राजस्थान)
3. महेन्द्र कुमार आयु 49 वर्ष पुत्र श्री भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी डबूकड़ा के देव महाराज के मन्दिर के पास, आंवली रोझड़ी रोड़, नयागांव कोटा जिला कोटा
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां (राजस्थान) **(रेंस्पोडेंटगण)**

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट
नामांतरण संख्या 1791 दिनांक 25.05.2018 ग्राम बड़ां तहसील बारां
प्रार्थना पत्र धारा 10 सी.पी.सी. वास्ते कार्यवाही स्थगित किये जाने

उपस्थिति :– 1. श्री हरिओम चर्तुवेदी अभिभाषक **(अपीलांटगण)**
2. श्री ओम प्रकाश मेहता II अभिभाषक **(रेस्पोडेन्टगण)**

निर्णय दिनांक 09.05.2022

उक्त उनवानी अपील में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रार्थना पत्र धारा 10 सी.पी.सी. वास्ते कार्यवाही स्थगित किये जाने इस आशय का पेश हुआ कि ग्राम बड़ां की आराजी इंतकाल क्रमांक 1791 दिनांक 25.05.2018 में वर्णित कुल किता 5 रकबा 4.53 है. के संबंध में अपीलांट द्वारा एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 आर [illegible] नरेश चन्द्रमोहन वगैरा बनाम सरकार, रानी, भूलीबाई वगैरा किया हुआ है। [illegible] व उक्त वाद अपीलांट द्वारा ही किये गये हैं। इंतकाल अपनी [illegible] धारा 88, 89, 90 व 188 आर टी एक्ट में साक्ष्य लिया जाकर [illegible] किया जाता है। इस [illegible] जब उक्त आराजीयात के संदर्भ में नियमित वाद विचाराधीन [illegible] तो ऐसी स्थिति में [illegible] प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार इंतकाल कार्यवाही चलने योग्य नहीं है। इसलिये मूल वाद के निस्तारण तक इंतकाल कार्यवाही को स्थगित फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.06.01 10:46:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर बारां (राज॰)

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब अपीलांटगण की ओर से जर्ये अभिभाषक इस आशय का पेश हुआ कि अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत वाद में तहसीलदार बारां पक्षकार होते हुए भी राजस्व न्यायालय में लम्बित वाद में विवादित आराजी पर मृतक केसरीलाल के वसीयती उत्तराधिकारियों के पक्ष में वसीयत जांच कर नामान्तरण अपीलांटगण के पक्ष में तस्दीक न कर मृतक भंवरलाल व मृतक कन्हैयालाल के पक्ष में नामान्तरण प्रक्रिया प्रावधानों से असंगत नामान्तरण संख्या 1791 अपीलांटगण को बिना सूचना एवं सुनवायी का अवसर दिये बिना तस्दीक किया है, जो अवैधानिक होने से लम्बित अपील में निरस्त किये जाने हेतु अपीलांटगण द्वारा अपील पेश की है। राजस्व न्यायालय में लम्बित वाद की विषयवस्तु विवाद्यक एवं अनुतोष नामान्तरण संख्या 1791 की लम्बित अपील से भिन्न होने से प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है। न्यायालय एस.डी.ओ. बारां में लम्बित वाद में रेस्पोडेन्ट रामप्यारी पक्षकार है, जिसे मृतक खातेदार केसरीलाल द्वारा अपनी स्वअर्जित आराजी का अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 3 को रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 12.05.1992 से अपना वसीयती उत्तराधिकारी घोषित करने की जानकारी होने के उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट रामप्यारी ने तहसीलदार से मिलीभगत कर राजस्व न्यायालय में लम्बित वाद की विवादित आराजी पर मृतक भंवरलाल व कन्हैयालाल के पक्ष में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो से असंगत आधारों पर अधिकारहीन नामान्तरण तस्दीक करवाया है। जिसका विधितः निस्तारण लम्बित अपील में पारित निर्णय से होना है। लम्बित अपील की विषयवस्तु राजस्व न्यायालय में लम्बित वाद से भिन्न होते हुए भी रेस्पोडेन्ट ने धारा 10 सी.पी.सी. का असंगत प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो निरस्तनीय है।

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज.)

हमने प्रार्थना पत्र 10 सी.पी.सी. पर बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनी।

दौराने बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि इंतकाल क्रमांक 1791 ग्राम बड़ां में वर्णित आराजी से संबंधित नियमित वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 व 188 आर.टी.ए. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हक हकूक उक्त वाद में ही साक्ष्य उपरान्त तय होने हैं। ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील की कार्यवाही अन्तर्गत धारा 10 सी.पी. सी. स्थगित फरमावें। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने विधि दृष्टांत आरबीजे (13) 2006 पृष्ठ संख्या 366 बउनवान सीताराम बनाम भैरू एवं आरएलड्ब्ल्यू 2011(2) आरजे पृष्ठ संख्या 1325 बउनवान जीवनी बनाम जस्सुराम व अन्य माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की छायाप्रति पेश की।

जिला कलेक्टर बारां (राज.)

दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी/अपीलांटगण ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन [illegible] ने जैरकार वाद में पक्षकार होते हुए तथा मृतक केसरीलाल जी की रजिस्[illegible] की जानकारी होने के उपरान्त भी नामान्तरकरण संख्या 1791 [illegible] लिया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में विचाराधीन [illegible] की विषयवस्तु व अनुतोष भिन्न है। अतः रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्[illegible] पत्र 10 सी.पी.सी. निरस्त फरमावें। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक अपीलांटगण ने विधि दृष्टांत डीएनजे (राज.)2018(1) पृष्ठ संख्या 318 बउनवान मोहरू जर्ये वारिसान व अन्य बनाम सारादेवी व अन्य माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में जैरकार वाद की छायाप्रतियां पेश की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.06.01 10:46:07 IST
Reason: SelfAttested

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपात अवलोकन किया। अपीलांटगण ने मृतक केसरीलाल द्वारा अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 3 के हक में रजिस्टर्ड वसीयत किये जाने के आधार पर विवादित नामान्तरकरण निरस्त कर वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु अपील पेश की है। अपीलांटगण द्वारा इसी आधार पर घोषणा का वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में पेश किया जो विचाराधीन है। न्यायिक दृष्टांत आरबीजे (13) 2006 पृष्ठ संख्या 366 व आरएलड्ब्ल्यू 2011 (2) पृष्ठ संख्या 1325 पंर प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार पक्षकारान के मध्य नियमित राजस्व वाद सक्षम न्यायालय में लम्बित हो तो नामान्तरकरण की कार्यवाही तक तक लम्बित रखी जानी चाहिये जब तक उक्त वाद का निर्णय नही हो जाता। उक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में वर्ष 2001 से लम्बित है जबकि प्रश्नगत नामान्तरकरण वर्ष 2018 में तस्दीक किया गया है।

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के अनुसार नियमित वाद के लम्बित रहने के दौरान नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया जाना चाहिए था। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया। परन्तु अपील नामान्तरकरण व दावे की विषयवस्तु एक ही होने पर नियमित वाद के निर्णय तक हम नामान्तरकरण की कार्यवाही को लम्बित रखना उचित समझते हैं, परन्तु चूंकि वाद के विचाराधीन रहते हुए नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। अतः राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखने हेतु दोनों पक्षकारान को पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं।

अतः नियमित वाद के निस्तारण तक ग्राम बड़ां का नामान्तरकरण संख्या 1791 दिनांक 25.05.2018 की अपील लम्बित रखी जाने व मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.06.01 10:46:07 IST
Reason: SelfAttested